

प्रपत्र-3

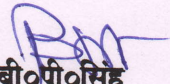
**वन संरक्षण अधिनियम 1980 अंतर्गत प्रेषित किये जाने वाले प्रस्ताव पर वन संरक्षक/व.म.
अ. का स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन**

1.	परियोजना का नाम	132/33 के.व्ही. उपकेन्द्र की स्थापना						
2.	आवेदक/आवेदक विभाग का नाम	कार्यपालन अभियंता, (सिविल) संभाग छ. रा. वि. पारे. क. मर्या. रायगढ़ (छ.ग.)						
3.	गैर वनिकी कार्य जिस हेतु वन भूमि की मांग	132/33 के.व्ही. उपकेन्द्र की स्थापना कार्य आवेदित क्षेत्र 2.63 हे.						
4.	आवेदित क्षेत्र की स्थिति	<table border="1"> <tr> <td>जिला</td><td>वनमण्डल</td><td>परियोजना स्थल</td></tr> <tr> <td>बलरामपुर</td><td>बलरामपुर</td><td>वाङ्गफनगर (जमई)</td></tr> </table>	जिला	वनमण्डल	परियोजना स्थल	बलरामपुर	बलरामपुर	वाङ्गफनगर (जमई)
जिला	वनमण्डल	परियोजना स्थल						
बलरामपुर	बलरामपुर	वाङ्गफनगर (जमई)						
5	वनभूमि का विस्तृत विवरण							
	(क) आरक्षित वन/संरक्षित वन	निरंक						
	(ख) सीमांकित संरक्षित वन:-	निरंक						
	(ग) असीमांकित संरक्षित वन	निरंक						
	(घ) राजस्व वन क्षेत्र:-	ग्राम जमई वन परिक्षेत्र वाङ्गफनगर जिला बलरामपुर पटवारी हल्का न. 32 खसरा न. 77/1, रकबा 2.63 हे. राजस्व वन भूमि (छोटे झाड़ का जंगल)						
6	आवेदित वन क्षेत्र में वनों की वर्तमान स्थिति प्रकार	निरंक						
7	आवेदित क्षेत्र में वृक्षों का विवरण	निरंक						
8	आवेदित क्षेत्र में प्राकृतिक पुनरुत्पादन की स्थिति	-						
9	आवेदित क्षेत्र की (विशेषकर खनिज प्रकरणों) में मुख्य मार्ग से (PWD) आदि से दूरी (जिसे स्पष्ट रूप से मानचित्र में भी अंकित करें।	मानचित्र पर अंकित						
10	क्या आवेदित क्षेत्र किसी ECO LOGICAL SENSITIVE क्षेत्र = (राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण्य Biosphere Reserse प्राकृतिक झील/वाटरबाडी आदिवासी सेटलमेंट क्षेत्र, धार्मिक स्थल की सीमा के 5 वर्ग कि.मी. के अंतर्गत है अथवा नहीं यदि हाँ तो संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत करें।	-						

11	आवेदित वन क्षेत्र के आलावा अन्य गैर वन क्षेत्र को विकल्प के रूप में प्रस्तावित गैर वानिकी कार्य हेतु उपलब्ध अथवा नहीं। विशेषकर खनिज उत्खनन प्रकरणों में आवेदित क्षेत्र के आसपास के 20.00 कि.मी. 2 में गैर वन क्षेत्र का निरीक्षण कर जिलाध्यक्ष भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा पूर्व स्वीकृत खदानों की संख्या बतावें एवं उसे मानचित्र पर भी दर्शाया जावे।	नहीं है।
12	आवेदित क्षेत्र में आवेदक द्वारा अधिनियम का उल्लंघन किया गया है। या नहीं? यदि हाँ संक्षिप्त विवरण दें।	नहीं है।

प्रमाण पत्र:-

उपरोक्त जानकारी/विवरण द्वारा किये गये भौतिक निरीक्षण के आधार पर है। आवेदक द्वारा मांग की गई राजस्व वन भूमि को गैर वानिकी प्रयोजन हेतु अनुशंसा की जाती है।


बी.वी.सिंह

“भा.व.से”

वनमण्डलाधिकारी

बलरामपुर वनमण्डल बलरामपुर